न्यूज़ टुडे

यू.एस. कांग्रेस ने स्टेबलकॉइन्स को विनियमित करने के लिए 'जीनियस एक्ट' पारित किया

यह एक्ट स्टेबलकॉइन्स के लिए एक **विनियामक ढाँचा (नियम और कानून)** स्थापित करेगा।

- स्टेबलकॉइन एक प्रकार की **क्रिप्टोकरेंसी** है, जिसका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए- **टेथर (USDT),** जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है।
- इनसे भुगतान करने में **आसानी और तेजी** आ सकती है।

स्टेबलकॉइन्स का उपयोग क्यों बढ़ा है?

- **आधारभूत/ अंतर्निहित परिसंपत्ति (Underlying Asset) से संबद्ध:** इससे स्टेबलकॉइन्स अपनी कीमत को ज्यादा स्थिर बनाए रखते हैं। इसी वजह से वे बिटकॉइन जैसी ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में लेन-देन के लिए ज्यादा भरोसेमंद बन गए हैं।
  - **आधारभूत/ अंतर्निहित परिसंपत्तियों** के पीछे कोई न कोई संस्था या व्यक्ति होता है, जो उन्हें जारी करता है और उनकी कीमत के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं, कई **क्रिप्टोकरेंसीज (जैसे बिटकॉइन)** के पीछे कोई केंद्रीय संस्था या जारीकर्ता नहीं होता, जो उन्हें समर्थन दे। इस कारण स्टेबलकॉइन्स के जारीकर्ता की आसानी से पहचान की जा सकती है।
  - जारीकर्ता कोई **बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, या बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां** हो सकती हैं।
- **विनियमन (Regulation):** स्टेबलकॉइन्स से जुड़े नियमों और फैसलों को आमतौर पर एक **संचालन निकाय** द्वारा तय किया जाता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन:

- वर्तमान में, भारत में **क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रत्यक्ष विनियमन नहीं** है।
- हालांकि, सरकार ने **वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs)** के लेन-देन के लिए एक **व्यापक कराधान व्यवस्था** लागू की है।
- इस व्यवस्था के जरिए VDAs से होने वाले **पूंजीगत लाभ पर 30% कर** लगाया गया है।
  - **आयकर अधिनियम, 1961** के अनुसार VDA का अर्थ है– क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य माध्यमों से उत्पन्न कोई भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सके। उदाहरण: **क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT)** आदि।
- 2023 में, VDAs को **धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** के दायरे में भी ला दिया गया था।

क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है?

- यह एक **डिस्ट्रिब्यूटेड पब्लिक लेजर** के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे **ब्लॉकचेन** कहते हैं।
  - यह **पब्लिक लेजर** (बहीखाता) सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है, जिसे लगातार अपडेट किया जाता है और यह रिकॉर्ड **मुद्रा रखने वाले लोगों के पास** रहता है।
- क्रिप्टोकरेंसी को बनाने की प्रक्रिया को **माइनिंग** कहते हैं।
  - माइनिंग में, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करके **जटिल गणितीय समस्याएं हल** की जाती हैं, जिससे नए कॉइन्स बनाए जाते हैं।
- उपयोगकर्ता इन मुद्राओं को **ब्रोकर्स (दलालों)** से खरीद सकते हैं और फिर उन्हें **क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट्स** में सुरक्षित रखकर खर्च कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में सजा का पहला मामला दर्ज किया गया

ये दोषी एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थे जिसने 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के माध्यम से 100 से अधिक लोगों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी।

डिजिटल अरेस्ट क्या है?

- यह एक धोखाधड़ी है जिसमें **भय, छल और धमकी का उपयोग करके पीड़ितों से धन की मांग** की जाती है।
- **तरीका:** पीड़ितों को एक **फोन कॉल, ईमेल या मेसेज प्राप्त होता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे किसी गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे कि पहचान की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग** में शामिल हैं।
- **धमकी और दबाव:** इसमें धोखाधड़ी करने वाले **भय के जरिए और पीड़ितों को तर्कसंगत ढंग से सोचने से रोकने** के लिए गिरफ्तारी की धमकी देते हैं।
- **धन की मांग:** पीड़ितों को **"अपना नाम जांच से हटाने" या "रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट"** प्रदान करने जैसे बहाने के तहत बड़ी रकम को फर्जी खातों में स्थानांतरित करने को कहा जाता है।
- **प्रशासनिक पहलू:-**
  - **राज्य की भूमिका:** भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची** के विषय हैं।
  - **केंद्र की भूमिका:** यह क्षमता निर्माण के लिए विविध योजनाओं के तहत **परामर्श और वित्तीय सहायता** के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को सहायता प्रदान करता है ।

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** इसे गृह मंत्रालय ने **सभी साइबर अपराधों के लिए केंद्रीय समन्वय निकाय** के रूप में स्थापित किया है।
  - **साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC):** इसे I4C में स्थापित किया गया है, जहां **बैंक, दूरसंचार प्रदाता और कानून प्रवर्तन विभाग** एक साथ मिलकर काम करते हैं।
- **समन्वय प्लेटफॉर्म:** यह **अंतर्राज्यीय अपराध लिंकेज के लिए डेटा संग्रह और समन्वय प्रणाली** के रूप में कार्य करता है।
- **संदिग्ध रजिस्ट्री:** इसे **साइबर अपराधियों की पहचान करने के लिए बैंकों के सहयोग** से शुरू किया गया है।
- **रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट:** यह cybercrime.gov.in पर एक नया फीचर है, जहां **नागरिक आपराधिक डेटाबेस सर्च** कर सकते हैं।
- **CERT-IN के दिशा-निर्देश:**
  - कॉल करने वाले की पहचान की जांच करें,
  - घबराएं नहीं या दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें (स्थिति का शांति से आकलन करने के लिए कुछ समय लें),
  - व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें,
  - अपने डिवाइस को अनजानों के साथ साझा न करें आदि।

क्वांटम साइबर सिक्योरिटी: प्रीपेरिंग फॉर पोस्ट-क्वांटम एरा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) और साइबर सुरक्षा फर्म SISA ने "ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस" शीर्षक से एक श्वेत-पत्र जारी किया।

क्वांटम साइबर रेडीनेस की आवश्यकता क्यों है?

- **हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर (HNDL) हमले:** इसमें मौजूदा समय में डेटा को स्टोर कर लिया जाता है और भविष्य में जब क्वांटम कंप्यूटर विकसित हो जाएंगे, तब उनकी मदद से उसे डिक्रिप्ट किया जा सके।
  - यह **डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी** आदि से संबंधित डेटा उल्लंघन से जुड़ा है।
- **रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन (RSA)** जैसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, जो वर्तमान डिजिटल सुरक्षा के आधार हैं, अगले कुछ वर्षों में क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण अप्रचलित हो सकते हैं।

क्वांटम साइबर रेडीनेस के लिए रोडमैप:

- **आधारभूत मूल्यांकन और रणनीतिक योजना:** उदाहरण के लिए- क्वांटम सुभेद्य संपत्तियों की पहचान करना।
- **प्रौद्योगिकी तैयारी और क्षमता निर्माण:** उदाहरण के लिए- मौजूदा अवसंरचना का मूल्यांकन एवं अपग्रेड की योजना बनाना।
- **चरणबद्ध संगठनात्मक कार्यान्वयन:** यह बहु-चरणीय परिवर्तन होना चाहिए, जो संगठन की संरचना, प्राथमिकताओं, संसाधनों और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार हो।
- **लचीलापन, निगरानी और भविष्य की सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- QKD का कार्यान्वयन

क्वांटम साइबर सुरक्षा

- इसमें दो प्राथमिक दृष्टिकोण शामिल हैं: **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (इसे क्वांटम एन्क्रिप्शन** भी कहा जाता है)।
  - PQC: यह ऐसे **एन्क्रिप्शन तरीके** विकसित करता है, जो क्वांटम कंप्यूटर के हमलों को सह सकें और पारंपरिक सिस्टम के साथ भी काम कर सकें।
  - **क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:** यह सैद्धांतिक रूप से अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन तकनीक विकसित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों जैसे **क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन** (QKD) पर आधारित होती है।

लोक सभा अध्यक्ष ने देश और समाज के विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया

सामाजिक संगठन का अर्थ है कि समाज में लोग और समूह किस तरह से एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कैसे आपस में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये संगठन **औपचारिक** (जैसे धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, श्रमिक संघ आदि) या **अनौपचारिक** (जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी समूह आदि) हो सकते हैं।

सामाजिक संस्थाएं	राष्ट्र निर्माण में भूमिका
परिवार	यह **सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों और अच्छे नैतिक व्यवहारों को सिखाने वाली ऐसी प्राथमिक पाठशाला है,** जो अधिक सामंजस्यपूर्ण व समावेशी समाज बनाने में मदद करती है।
धार्मिक संस्था	यह **नैतिक रूपरेखा** प्रदान करती है और करुणा, क्षमा एवं दान जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। साथ ही, **सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक सामंजस्य** को बढ़ावा देती हैं; **धर्मार्थ व कल्याणकारी कार्यों से गरीबी को कम** करने में मदद कर सकती है आदि।
शैक्षिक संस्था	यह **ज्ञान एवं कौशल सीखाने,** और कड़ी मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क व मूल्यों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने आदि में मदद करती है।
गैर-सरकारी संगठन	→ **नीतियों को दिशा देना और प्रभाव डालना:** उदाहरण के लिए- RTI अधिनियम को प्रभावित करने में मजदूर किसान शक्ति संगठन (NGO) की भूमिका रही है। → **जागरूकता एवं क्षमता निर्माण:** जैसे- लैंगिक मुद्दों में सेवा/ SEWA (ट्रेड यूनियन) की भूमिका। → **बेहतर सेवा वितरण:** उदाहरण- शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम NGO की भूमिका। → **लोकतंत्र को मजबूत करना:** जैसे- राजनीति को अपराध मुक्त करने के प्रयास में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की भूमिका।

इस प्रकार, प्रत्येक सामाजिक संस्था व्यक्तियों के जीवन के साथ-साथ समुदायों के सामूहिक ताने-बाने को भी आकार देने में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती है। इन संस्थाओं के महत्त्व को पहचानना और समझना, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने के लिए तथा संधारणीय, समावेशी व अनुकूलनशील समाजों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार ने 'अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम, 2025' अधिसूचित किए

ये नियम **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

नियमों के बारे में:

- **उद्देश्य-** अपतटीय क्षेत्रों में **यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों** के अन्वेषण एवं खनन को विनियमित करना।
- ये नियम तभी लागू होंगे, जब **परमाणु खनिजों का संकेंद्रण एक निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक** होगा।
- नियमों के तहत सरकार द्वारा नामित संस्थाओं को ही **अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टे** दिए जा सकते हैं।
  - यदि **कोई विदेशी संस्था अन्वेषण कार्य** करना चाहती है, तो उसे पहले सरकारी प्राधिकारियों से **अनुमोदन** लेना होगा।

भारत में प्रमुख परमाणु खनिज

- **यूरेनियम:**
  - **मुख्य भंडार:** झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान आदि।
    - **जादूगोड़ा (झारखंड) देश की पहली** खदान है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर **यूरेनियम** निकाला गया।
  - **अन्य महत्वपूर्ण खदानें: लांबापुर-पेड्डागट्टू** (आंध्र प्रदेश), **बगजाता खदान** (झारखंड) आदि।
  - भारत में **अधिकतर यूरेनियम भंडार छोटे** हैं और दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम गुणवत्ता वाले हैं।
- **थोरियम:**
  - भारत में **यूरेनियम के भंडार सीमित** हैं, लेकिन **थोरियम के प्रचुर भंडार** हैं।
  - **मोनोजाइट** में लगभग **8-10% थोरियम** होता है।
  - **केरल और ओडिशा** के समुद्र तटों की रेत में **मोनोजाइट** के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं।

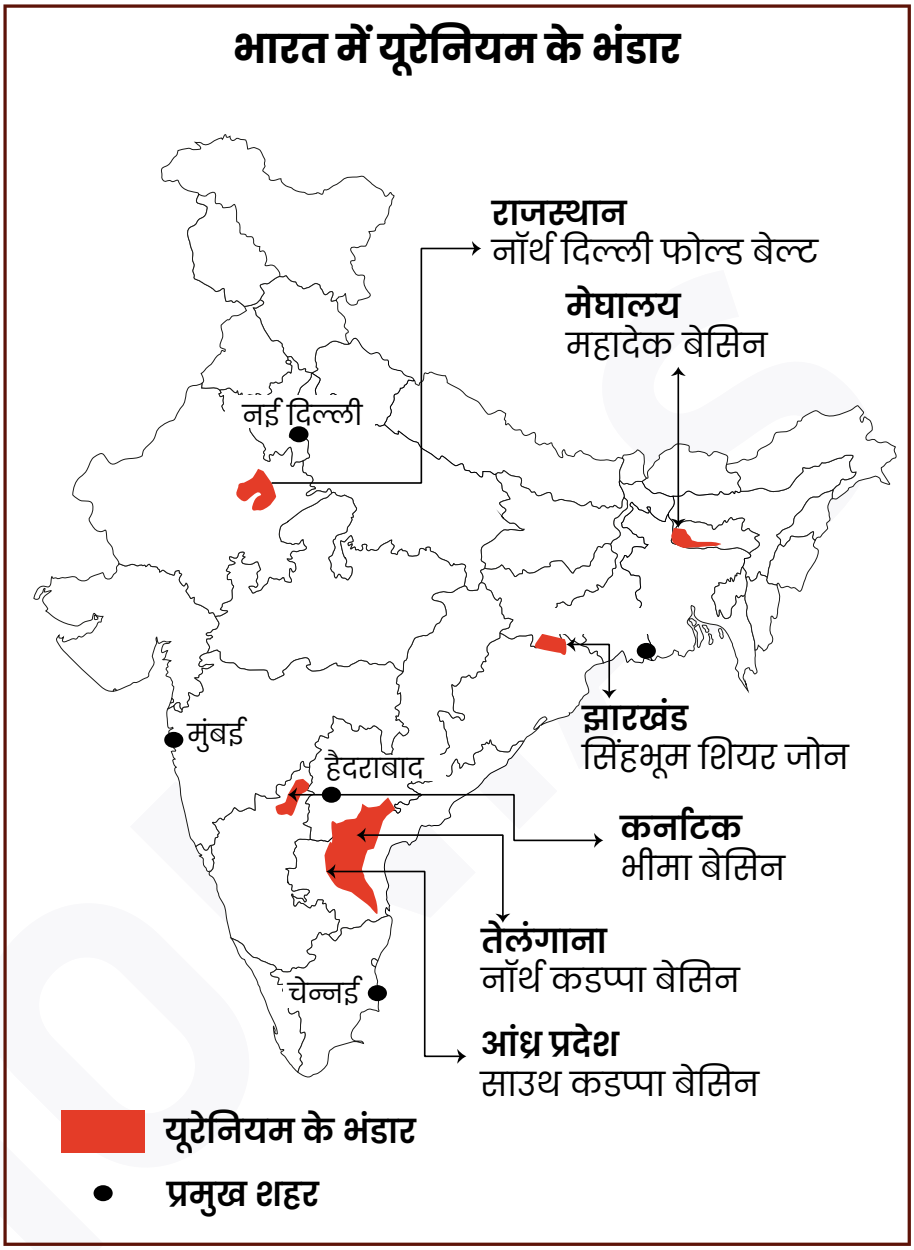

अन्य सुर्ख़ियां

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

यूक्रेन 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' की स्थापना करने वाली **रोम संविधि (Rome Statute)** का **125वां पक्षकार राष्ट्र** बन गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' के बारे में

- यह **पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय** है, जो ऐसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजन करता है जिन पर **गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगा** होता है।
- यह **निम्नलिखित मामलों में अभियोजन चलाता है:**
  - नरसंहार (Genocide),
  - युद्ध अपराध (War Crimes),
  - मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Humanity),
  - आक्रमण का अपराध (Crime of Aggression).
- इसकी स्थापना **रोम संविधि (Rome Statute)** के तहत हुई थी, जिसे **1998 में अपनाया** गया और **2002 में लागू** किया गया।
- **भारत रोम संविधि का पक्षकार देश नहीं है।**
- **मुख्यालय:** हेग (नीदरलैंड)।

कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI - AL & RL)

भारत सरकार के 'श्रम ब्यूरो' ने **'कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI – AL & RL)' नंबर** के लिए **आधार वर्ष** को संशोधित करके **2019=100** कर दिया है।

CPI – AL/RL के बारे में

- यह पुरानी **CPI – AL/RL (आधार वर्ष 1986-87 = 100) सीरीज** की जगह शुरू की गई है।
- इसे केंद्रीय **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत 'श्रम ब्यूरो'** द्वारा संकलित किया जाता है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):** यह सूचकांक निर्धारित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में होने वाले बदलावों को मापता है, जिन्हें **घरेलू उपभोक्ता अपनी खपत के लिए खरीदते** हैं।
  - **कृषि श्रमिक:** वह व्यक्ति जो एक या अधिक कृषि कार्यों में संलग्न है, और नकद, वस्तु रूप में या दोनों के मिश्रित रूप में मजदूरी प्राप्त करता हो।
  - **ग्रामीण श्रमिक:** वह व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि या गैर-कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम करता है, और इसके बदले नकद, वस्तु या दोनों रूपों में मजदूरी प्राप्त करता है।

NSCSTI 2.0

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने **'नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 2.0 (NSCSTI 2.0)'** फ्रेमवर्क जारी किया।

NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क के बारे में

- **विकास: क्षमता निर्माण आयोग** (CBC) द्वारा।
- **उद्देश्य:** फ्यूचर-रेडी **सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण** करना।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - व्यवस्थित मूल्यांकन मापदंड,
  - समावेशी डिज़ाइन,
  - डिजिटल अनुकूल,
  - हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के साथ एकीकृत।

'क्षमता निर्माण आयोग' के बारे में

- इसकी **स्थापना 2021** में की गई।
- यह **नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग** (NPCSCB) को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है। **NPCSCB को मिशन कर्मयोगी** भी कहा जाता है।
- यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। इसे पूर्ण **कार्यकारी शक्तियाँ** प्राप्त हैं।

जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM)

भारत ने देश में ही **जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल** (ATGM) के सह-उत्पादन के लिए **संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुरोध पत्र** प्रस्तुत किया है।

जैवलिन ATGM के बारे में

- यह **मध्यम दूरी की टैंक-रोधी मिसाइल प्रणाली** है। इसे एक व्यक्ति **अपने कन्धों पर भी वहन कर सकता है।**
- यह मिसाइल **"फायर-एंड-फॉरगेट"** सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च होने के **बाद स्वतः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती** है।

पैक्ट फॉर फ्यूचर

हाल ही में, भारत ने **संयुक्त राष्ट्र** (UN) **संवाद** के दौरान **'पैक्ट फॉर फ्यूचर'** के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

'पैक्ट फॉर फ्यूचर' के बारे में

- इसे 2024 में **"समिट ऑफ़ द फ्यूचर"** में अपनाया गया।
- **'पैक्ट फॉर फ्यूचर' में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट:** यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग के लिए **पहला व्यापक वैश्विक फ्रेमवर्क** है, और
  - **डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जेनरेशन्स।**
- **मुख्य विशेषता:** यह अलग-अलग मुद्दों पर **स्पष्ट प्रतिबद्धताएं** सुनिश्चित करता है और ठोस परिणामों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
  - इन प्रतिबद्धताओं में **मानवाधिकार, लैंगिक समानता और सतत विकास पर विशेष ध्यान** दिया जाता है।
- **यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कई प्रतिबद्धताएं तय करता है:**
  - सतत विकास और विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन,
  - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा,
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी; इनोवेशन और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग,
  - युवा और अगली पीढ़ियां, और
  - ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव।

नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने NMMS ऐप के दुरुपयोग और गड़बड़ियों की घटनाओं पर चिंता जताई है। इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के **क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल** उठे हैं।

NMMS ऐप के बारे में

- **शुरुआत:** केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा,
- **उपयोग:** मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए **जियो-टैग्ड** के साथ **टाइम स्टैम्प्ड** तस्वीरें प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं।
- **उद्देश्य:** फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और **फर्जी लाभार्थियों को दर्ज करने संबंधी गतिविधियों को कम करना।**
- **भाषा:** यह ऐप वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं में उपलब्ध है।
- **ऐप को लेकर चिंताएं:**
  - **जवाबदेही और वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका:** गलत फोटो अपलोड करना या अलग-अलग जॉब कार्ड्स से एक ही मजदूर की फोटो बार-बार अपलोड करना।
  - **इंटरनेट कनेक्टिविटी और सॉफ़्टवेयर समस्याएं:** इनकी वजह से वास्तविक लाभार्थी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

नेत्र MkII

केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन के **एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम** (AWACS) **इंडिया कार्यक्रम** के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की। इसे **'नेत्र MkII'** प्रोग्राम भी कहा जाता है।

नेत्र MkII के बारे में

- इसे **एयरबस A321 प्लेटफॉर्म** पर लगाया जाएगा।
- **विशेषताएं:**
  - यह लंबी दूरी तक **खतरों का पता लगाने और ट्रैक करने तथा उनकी निगरानी करने में सक्षम** है।
  - यह सिर्फ एक विमान नहीं , बल्कि एक **उड़ता हुआ कमांड सेंटर** है, जो खतरों पर नजर रखने की देश की **क्षमता** को और मजबूत करेगा।
  - इसमें **एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे** (AESA) **रडार** और **मिशन कंट्रोल सिस्टम** लगे होंगे।

इन्विक्टस (INVICTUS)

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर-नैश ने INVICTUS **परियोजना** की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य **हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास** करना है।

INVICTUS परियोजना के बारे में:

- यह पूरी तरह से **दोबारा उपयोग किए जाने वाला एक्सपेरिमेंटल एयरोस्पेस यान** है। यह **मैक 5 (ध्वनि की गति से पाँच गुना)** की गति से उड़ान भर सकता है।
- **वित्त-पोषण:** यह ESA के **जनरल सपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम** (GSTP) और **टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एलिमेंट** (TDE) द्वारा वित्त-पोषित है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह वायुमंडल में **निरंतर हाइपरसोनिक गति पर** उड़ान भर सकता है।
  - यह **अपग्रेड करने योग्य यान** है, जिससे उड़ान परीक्षण अभियानों के बीच में ही **सामग्री, सॉफ़्टवेयर और प्रणोदन प्रणाली (propulsion system) को बदला** जा सकता है।
- **महत्त्व:**
  - इस परियोजना का उद्देश्य हाइड्रोजन-ईंधन आधारित **प्रीकूल्ड एयर-ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली** की उपयुक्तता सिद्ध करना है, जो पुन: उपयोग वाले यानों में **क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) टेक-ऑफ और हाइपरसोनिक उड़ान के लिए उपयुक्त** हो।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

NEWS

सूडान (राजधानी: खार्तूम)

हाल ही में, सूडान के कोर्डोफन क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुटों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की जान चली गई।

भौगोलिक अवस्थिति:

- **सूडान उप-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व** के चौराहे पर स्थित है। यह **लाल सागर** का तटवर्ती देश है।
- **स्थलीय सीमाएं:** इसके उत्तर में **मिस्र**, पूर्व में **इरिट्रिया और इथियोपिया**, दक्षिण में **दक्षिण सूडान**, पश्चिम में **सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड**, तथा उत्तर-पश्चिम में **लीबिया** स्थित हैं।
- **समुद्री सीमा: लाल सागर** से लगती है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- **सबसे ऊँची चोटी:** जेबेल मार्रा (जिसे **मार्रा पर्वत** भी कहा जाता है)।
- सूडान की राजधानी खार्तूम में **व्हाइट नील और ब्लू नील** नदियां मिलकर **नील नदी** बनाती हैं।